

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक  
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,  
शेखपुरा, पटना-14।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।  
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 09.03.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राम दुलारी देवी पति-जीवछ यादव ग्राम-शिवपुर पो०-बैरमपुर थाना-बिरोल जिला-दरभंगा पंजीसं०-ओ.पी.डी/097734/14	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
2	सुमीत्रा देवी पति-राम नारायण ठाकुर ग्राम-कृष्णधरा परसरमा परसौनी पो०-परसरमा थाना-जिला-सुपौल सी.आरनं०-105887/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	कल्याणी देवी पति-स्व. पुनाई ठाकुर ग्राम-भीमबान पो०+थाना-गंगटा जिला-मुंगेर सी.आरनं०-9933/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	शैल किशोरी देवी पति-स्व. उमा शंकर पाण्डेय ग्राम-नया टोला इमाद पट्टी पो०-बारा चकीया थाना-चकीया जिला-पूर्वी चम्पारण सी.आरनं०-24437/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

20/04/16  
1/3/3/16

5	ओम प्रकाश पिता-हरि प्रसाद सिंह ग्राम-कोरलहीया मानसीह पो0-कोरलहीया थाना-रुन्नी सैदपुर जिला-सीतामढ़ी सी.आरनं0-136874 / 15	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000 / - (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
6	रोहन कुमार पिता-राजेश कुमार राय ग्राम-दरवेशा सिकन्दरा पो0-टरवा मंगरपाल थाना-दरियापुर जिला-सारण सी.आरनं0-153733 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
7	चन्द्र भुषण प्रसाद यादव पिता-महावीर प्रसाद ग्राम-फकराबाद पो0-सोनपुर जिला-सारण, छपरा सी.आरनं0 15162 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
8	देव रानी देवी पति-इसकी यादव ग्राम-महमुदा पो0-रोहर, थाना-विरोल जिला-दरभंगा पंजी/ओ.पीडी-048919 / 14	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 20,000 / - (बीस हजार) स्वीकृत।
9	सुरभी नन्दन कुमार पिता-ब्रह्मदेव राय ग्राम-बहरामपुर पो0-साइस्तापुर थाना-राघोपुर जिला-वैशाली सी.आरनं0-9628 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
10	कौशल कुमार पिता-अनिल कुमार ठाकुर ग्राम-हरनारायणा पो0-दामोदरपुर थाना-पीपरा जिला-पूर्वी चम्पारण सी.आरनं0-85344 / 15	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।
11	असभोगनी देवी पति-राम सेवक यादव ग्राम-पो0-नौआ बाखर थाना-किशनपुर जिला-सुपौल सी.आरनं0-13448 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / - (साठ हजार) स्वीकृत।

12	अनिता सिंह पति-विजय आनन्द सिंह मोहल्ला-पुनाईचक मोहनपुर पो0+थाना-शास्त्रीनगर जिला-पटना सी.आरनं0-77568/15	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
13	सबीता देवी पति-राम नमुना सिंह ग्राम-बहादुरपुर पो0-सरथा, थाना-चंडी जिला-नालंदा पंजीसं/ओ.पी.डी/149879/15	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			₹ 11,00,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 11,00,000/- (ग्यारह लाख ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 509253 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 503 2011 9556 खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शंखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
6. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं0 मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय।

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नही किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नही किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

21/8/13  
19/3/14

विश्वासभाजन  
ह0/-  
(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 509153 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 435 (14)

पटना, दिनांक - 28-3-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.3.16

सं० सं०- 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
एस.एस. हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,  
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 9.3.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	उपेन्द्र यादव पिता-स्व. सीता राम यादव ग्राम-दुअनीया पो०-भवानीपुर उत्तर थाना-प्रतापगंज जिला-सुपौल	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
2	जय प्रकाश कुमार पिता-स्व. राजेन्द्र साव ग्राम-मुन्नाचक पो०-राजेन्द्र नगर थाना-पत्रकार नगर जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
3	अजीबुल निशा पति-मो० अलीमुद्दीन अंसारी ग्राम-नुनगोला एस.डी.ओ० रोड पो०+थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 40,000 /-(चालीस हजार) स्वीकृत।
4	दिनेश कुमार झा पिता-अवध किशोर झा ग्राम-पो०-दिग्धी थाना-लक्ष्मीपुर जिला-जमुई	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,20,000 /-

21/3/16

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,20,000/-( दो लाख बीस हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० SD9265 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० **5020 418 8262** खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस०एस० हौस्पीटल एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग, पटना-20 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- **इलाहाबाद बैंक**, शाखा का नाम - **हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना**, RTGS/IFSC कोड सं० **ALLA0212980** में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (**unutilised**) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० SD9265 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक - 436 (14)

पटना, दिनांक - 28-3-16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियाँ में )/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
21.11.16